



2026:AHC:41431

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
रिट - सी सं. - 7362 वर्ष 2026

रविन्द्र प्रताप सिंह

.....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 14 अन्य

..... प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ता(ओं) की ओर से अधिवक्ता : कन्हैया लाल तिवारी
प्रतिवादी(यों) की ओर से अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. प्रस्तुत प्रकरण में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, प्रतिवादीगण को नोटिस जारी कर इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि प्रतिवादीगण इस आदेश से स्वयं को आहत महसूस करता/करती है, तो उसे इस आदेश के संशोधन/परिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मुख्य राहत, प्रतिवादी संख्या-2/उप-जिलाधिकारी, तहसील हरैया, जिला बस्ती को अपील संख्या-07759/2018 (कंप्यूटर केस संख्या-टी201817140107759) को त्वरित रूप से तय करने हेतु निर्देशित करना है।
4. उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष काफी समय से लंबित है तथा पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के बावजूद आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान याचिका को प्रतिवादी संख्या-2/उप-जिलाधिकारी, तहसील हरैया, जिला बस्ती को यह निर्देश देते हुए निस्तारित

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया जाता है कि वे पूर्वोक्त अपील का निर्णय कानून के अनुसार कड़ाई से, अत्यंत त्वरित गति से और अधिमानतः निचली अदालत के समक्ष आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से चार महीने की अवधि के भीतर करें, तथा बिना किसी कानूनी बाधा के अनावश्यक स्थगन प्रदान न करें ।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)

24 फरवरी, 2026

सकलैन

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।